(195)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1442–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–3–14 पारित द्वारा आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक 5(1)2013–14/755.

———

मेसर्स कॉक्स इंडिया लिमिटेड, नौगांव
जिला छतरपुर म0प्र0 ——— अपीलांट

विरूद्ध

आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर ——— रिस्पोंडेंट्

———

अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी ।
रिस्पोंडेंट की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री बी0एन0 त्यागी ।

———

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22.12.16 को पारित)

———

यह अपील आबकारी आयुक्त, म0प्र0, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 5(1)/2013–14/755 में पारित आदेश दिनांक 14–3–14 के विरूद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे आगे आबकारी अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2) सी के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट मेसर्स कॉक्स इण्डिया लिमिटेड नौगांव जिला छतरपुर को देशी मदिरा की बॉटलिंग करने हेतु सी.एस. 1 – ख लायसेंस वर्ष 2011–12 के लिए स्वीकृत किया गया था । अपीलांट/संविदाकार द्वारा देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3–ख (10) के अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत नं करने के कारण अपीलांट को दिनांक 10–06–11 को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिंसका उत्तर अपीलांट इकाई द्वारा 15–12–12 को प्रस्तुत किया गया । विचारोपरांत आबकारी आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलांट कंपनी को देशी स्प्रिट नियम 1995 (संशोधित) के उपरोक्त वर्णित नियम के उल्लंघन का दोषी एवं नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय मानते हुए शास्ति आरोपित की साथ ही उन्होंने अपीलांट द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र विलंब से पेश करना मानते हुए कुल रूपये 1,39,775/– रूपये की

शास्ति आरोपित की । आबकारी आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों के मौखिक तर्क सुने गये । अपीलांट की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा अपील मेमो में उद्धरित किए गए हैं ।

4– रिस्पोंडेंट शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

4– उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस के प्रकाश में अभिलेख का अवलोकन किया अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट होता है कि उन्होंने इस आधार पर अपीलांट पर शास्ति आरोपित की है कि उन्होंने काउंटर एग्रीमेंट तो प्रस्तुत कर दिया था, किंतु अन्य प्रमाणपत्र अत्यंत विलंब से पेश किये हैं परंतु अपीलांट द्वारा इस संबंध में जो कारण अपने उत्तर में प्रस्तुत किए थे उन पर कोई विचार अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायिक रूप से नहीं किया गया है । अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट होता है कि अपीलांट इकाई द्वारा आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में जो विलंब हुआ है वह अपीलार्थी की कमी अथवा त्रुटि से नहीं हुआ है बल्कि विभागीय कार्यवाहियों में हुए विलंब के कारण हुआ है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी पर शास्ति अधिरोपित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त का आलोच्य आदेश दिनांक 14–3–2014 विधिसम्मत नहीं होने के कारण निरस्त किया जाता है । अपील स्वीकार की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर